



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34705

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1071 वर्ष 2026

अवधपाल उर्फ गुड्डू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता:

बीरेंद्र प्रताप सिंह, इंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, पुण्यशील पांडे

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यशील पांडे, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि सूचनाकर्ता की बेटी को आवेदक द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को सहायक की भूमिका सौंपी गई है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह आरोपी प्रेम सिंह के साथ गई थी और खुर्जा में एक कमरे में रुकी थी जहाँ शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए थे, लेकिन बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने आरोपी प्रेम सिंह पर बलात्कार का आरोप लगाया है, लेकिन आवेदक की भूमिका बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज उसके बयान के समान ही है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक का न तो आरोपी प्रेम सिंह से कोई संबंध है और न ही उसने कोई सहायता प्रदान की है, इसके बावजूद उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्ध करने हेतु कई अन्य निवेदन भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधिवत सहयोग करने के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आगे वह निवेदन करता है कि आवेदक 06.11.2025 से जेल में बंद है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि उसे मुकदमे से पहले के चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। यदि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

4. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, सबूतों की प्रकृति, और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। अंततः जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक **अवधपाल उर्फ गुड्डू**, जो मुकदमा अपराध संख्या 362/2025 में धारा 137(2), 87, 70(2) बी.एन.एस. और धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपित है, पुलिस स्टेशन कोतवाली, देहात, जिला एटा, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो स्थानीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

6. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

17 फरवरी, 2026

एस.अली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”